Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं०– 233 / 2016–17

वाद का प्रकार – बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

231/11/6

झारखण्ड सरकार के आदेश–2074 / रा० दिनांक 13.05.2016 संसूचित श्री अनुसूचित आयुक्त–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित, राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि –

मौजा [illegible] थाना न० 182 ज०सं० 118 खाता सं० 62 प्लॉट सं० ~~1.32~~ रकबा 1.32 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II पर जमाबंदी रैयत शम्भु महतो पि० [illegible] महतो [illegible] के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की माँग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें कि क्यों न उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक .... को उपस्थापित करें।

नोटिस तामिला हेतु जमा। – दिनांक 7/4 [illegible]

अनुमोदित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
बलियापुर

[signature] 23/7/16
अंचल अधिकारी
बलियापुर

9/8/16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद / ~~दलील~~ / खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाकिधरी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो। अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती हैं अग्रेतर कार्रवाई हेतू अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धनबाद को भेजे। 9/8/16 अंचल अधिकारी, बलियापुर।

वाद अभिलेख संख्या- 233 /2016 (अन्तर्गत धारा-4(h), BLR Act, 1950)

अंचल अधिकारी का कार्यालय, दलिलापुर

सूचना

बनाम

श्याम महतो महतो पि० गगन महतो
सा० लदाटांड़

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- लदाटांड़ थाना नं०- 182 खाता नं०- 62 खेसरा नं०- — रकबा 1.32 एकड़ संबंधित आपके नाम से ह० नं०- VII के पंजी-II भाग ___ के पृष्ठ ___ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 9/8/16 को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुपालन कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी
दलिलापुर
25/7/16

स्थान:-

robin C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

Binod mahto
5/8/16

नोटिस तामिला किया
ग्रा० ?? सपन महतो
06/8/16